

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

Rule 72 : 1[**]**

-
- 1 Rule 72 omitted by Noti. No. 19/2022–Central Tax dated 28-09-2022 w.e.f. 01-10-2022 before it was read as,
"Rule 72 : Claim of input tax credit on the same invoice more than once
Duplication of claims of input tax credit in the details of inward supplies shall be communicated to the registered person in **FORM GST MIS-1** electronically through the common portal."

नियम 72 : ¹[.....]

-
- 1 अधिसूचना क्रमांक 19/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा नियम 72 विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2022)। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था:

"नियम 72 : एक बार से अधिक उसी बीजक पर इनपुट कर प्रत्यय का दावा

आवक प्रदायों के ब्यौरों में इनपुट कर प्रत्यय के दावों का दो बार किया जाना सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटीआर एमआईएस-1 में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को संसूचित किया जाएगा।"